Hindi

47

सं0 2/8/97-स्था0 (वेतन-II)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय में, संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों की अवर सचिव, उप सचिव और निदेशक के रूप में, नियुक्ति पर उन्हें मिलने वाले केन्द्रीय सचिवालय (कार्य-अवधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ते (सी डी टी ए) का संशोधन - पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशें ।

अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत, अवर सचिव, उप सचिव /निदेशक के रूप में नियुक्त, संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय (कार्य-अवधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता (सी डी टी ए), इस विभाग के दिनांक सितम्बर 22, 1987 के कार्यालय-ज्ञापन सं0 6/30/86-स्था0 (वेतन-II) और दिनांक मार्च 1, 1989 कार्यालय-ज्ञापन सं0 4/7/87-स्था0 (वेतन II) में निहित आदेशों द्वारा शासित होता है । पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 110.6 में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यह तय करते हैं कि केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के रूप में, संगठित समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों की तैनाती पर उपर्युक्त अधिकारी, उस पद के वेतनमान (जिस पर वे तैनात किए गए हों) में अपना वेतन नियत करवाकर लेने अथवा निम्न शर्तों पर अपने मूल पद के वेतनमान (ग्रेड) में वेतन और केन्द्रीय सचिवालय-कार्यअवधि प्रतिनियुक्ति भत्ता (सी डी टी ए) प्राप्त करने के हकदार होंगे :-

(i) केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत, केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिवों/उप सचिवों/निदेशकों के रूप में तैनात संगठित समूह "क" के सेवाओं के अधिकारियों को अपने संवर्ग से बाहर अर्थात् संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा :

(ii) उनकी उपर्युक्त तैनाती एक नियत अवधि तक होगी जिसके समाप्त हो जाने पर वे अपने मूल विभाग में अपने संवर्ग-पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएंगे :

(iii) प्रतिनियुक्ति की उपर्युक्त कार्य-अवधि के दौरान अवर सचिव को सी डी टी ए के रूप में प्रति माह 800/- रुपये तथा उप सचिव/निदेशक को प्रति माह 1000/- रुपये की नियत धनराशि दी जाएगी :

(iv) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अधिकारियों का अपने मूल पद के वेतनमान (ग्रेड) में वेतन और सी डी टी ए, दोनों मिलाकर अवर सचिवों के संबंध में 15,200/- रुपये तथा उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में 18,300/- रुपये से अधिक नहीं होगा :

(v) उपर्युक्त भत्ता, अवर सचिवों के संबंध में, तीन वर्ष, उप सचिवों के संबंध में चार वर्ष तथा निदेशकों के संबंध में पांच वर्ष की सामान्य कार्य-अवधि से ऊपर की अवधि के संबंध में नहीं दिया जाएगा ;

(vi) केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर तैनात उपर्युक्त सेवाओं के अधिकारियों को कोई भत्ता देय नहीं होगा ; तथा

(vii) यह भत्ता उन अवर सचिवों/उप सचिवों/निदेशकों को भी देय नहीं होगा जिनकी सेवा-अवधि बढ़ाई गई है अथवा जिन्हें अधिवर्षिता के बाद पुनर्नियोजित किया गया है ।

<u>टिप्पणी</u> (i) यदि केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत किसी अधिकारी को अपने मूल पद के वेतनमान (ग्रेड) में वेतन और सी डी टी ए, दोनों मिलाकर अवर सचिव के संबंध में 15,200/- रुपये से अधिक अथवा उप सचिव/निदेशक के संबंध में 18,300 /- रुपये से अधिक हो तो उसे सी डी टी ए को उपयुक्ततः समायोजित करके उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम सीमा तक सीमित कर दिया जाएगा । उपर्युक्त भत्ते की मात्रा कम हो जाने पर, अधिकारियों को अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने (वापस जाने) का विकल्प सुलभ होगा ।

(ii) जब (जिस तारीख को) अधिकारी का अपने मूल पद के वेतनमान (ग्रेड) में वेतन, अवर सचिवों के संबंध में 15,200/- रुपये से अधिक तथा उप सचिवों/निदेशकों के संबंध में 18,300/- रुपये से अधिक हो जाए तो उस तारीख से छः माह के भीतर वह अधिकारी अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित हो जाएगा ।

2. ये आदेश अगस्त 01, 1997 से लागू होंगे । उपर्युक्त तारीख से पहले की प्रतिनियुक्ति से संबंधित शर्तें उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित दिनांक मार्च 01, 1989 के आदेशों द्वारा शासित होंगी ।

3. जहां तक इन आदेशों का, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग के अधिकारियों के संबंध में लागू किए जाने का संबंध है, ये आदेश, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

4. केन्द्रीय समूह "क" सेवा के अधिकारियों की अपने मुख्यालय में तैनाती पर उन्हें देय विशेष वेतन की दर संशोधित किए जाने के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

जे. विल्सन 11.3.98

(जे. विल्सन)

भारत सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग

संलग्न मानक सूची के अनुसार